UPMO040335212019

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1, मुरादाबाद।

वाद संख्या-1640/2019

अपराध संख्या-245/2019

धारा-3/25 आयुध अधिनियम

थाना-कटघर, जिला मुरादाबाद।

उ0नि0 पवन कुमार शर्मा बनाम मृतक शुभम यादव

दिनांकः 20.09.2024

पत्रावली पेश हुई। एफ0आर0 पर अभियोजन एवं वादी मुकदमा को सुना गया।

वादी मुकदमा द्वारा अपराध संख्या–245/2019, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, उ0नि0 पवन कुमार शर्मा बनाम मृतक शुभम यादव, थाना–कटघर, जिला मुरादाबाद में पंजीकृत कराया गया है। विवेचक के द्वारा विवेचनोपरान्त अन्तिम आख्या संख्या–115, दिनांकित 02.06.2019 न्यायालय में स्वीकृत किये जाने हेतु प्रेषित की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मामले के अभियुक्त शुभम यादव द्वारा स्वयं को गोली 315 बोर के तमन्चे से गोली मारकर आत्महत्या की गयी है। उक्त तमन्चे का अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था। अतः इस प्रकरण में अभियुक्त एक मृतक है। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा विवेचना दोषपूर्ण नहीं किया गया है। अतः एफ.आर. स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अपराध संख्या–245/2019, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, उ0नि0 पवन कुमार शर्मा बनाम मृतक शुभम यादव, थाना–कटघर, जिला–मुरादाबाद के मामले में प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या–115, दिनांकित 02.06.2019 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सर्वेश कुमार मिश्र)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कोर्ट सं0-01, मुरादाबाद।

J.O. CODE-UP 2073